न्यायालय उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

मु0नं0 03/2018 पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

तारीख रजू:— 10.08.2018

पप्पू अली पुत्र चंदा जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली —अपीलान्ट

बनाम

1 संरपच ग्राम पंचायत चिनायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली

2 मुफरूद्दीन
3 रफीक
4 हसरूद्दीन } पिसरान चन्दा जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन जिला करौली —रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 788 दिनांक 19.01.2013 व नामान्तकरण संख्या 851 दिनांक 05.06.2014 ग्राम पंचायत चिनायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली

निर्णय दिनांक 11.10.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से नामान्तकरण संख्या 788 व 851 वाके ग्राम हाडोली पंचायत चिनायटा से नाखुश होकर खिलाफ रेस्पोडेण्टस के अपील पेश कर अवगत कराया गया है कि विवादित आराजी 1120,1121 1356/970 1358/976 1362/1112 530,621 कुल किता 7 कुल रकवा 1.25 है0 वाके ग्राम हाडोली तहसील हिण्डौन में स्थित है जो की अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ड संख्या 2,3,4 की संयुक्त पैतृक मोरूसी भूमि खातेदारी की है जिसे संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। विरासत से जो नामान्तकरण संख्या 788 दिनांक 19.01.2013 व 851 दिनांक 05.06.2014 को अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट नं. 2,3,4 के हक में भूमि विरासत से प्राप्त हुई है वास्तविक नाम अपीलान्ट का पप्पू अली पुत्र चंदा अलि है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की मार्कशीट, उप जिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं राजकीय माध्यमिक विद्याालय शेरपुर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र ,पहचानपत्र, आधारकार्ड, वाहन चालक लहीसन्स आदि में यही नाम अंकित है। विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम गलत रूप से रफीक दर्ज कर दिया गया है। जबकि असली नाम पप्पू अली है गलत नाम दर्ज होने पर अपीलान्ट को भारी नुकसान उठाया जा रहा है। इस नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 31.08.2018 को होने पर नियमानुसार नकल ली गई। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमे रेस्पोडेण्ट नं. 1 की रजिस्टर्ड तामील होने पर भी उपस्थित नही आया

Scanned by CamScanner

है। रेस्पोडेण्ट नं. 2,3,4 स्वयं उपस्थित हुए है ओर एक लिखित राजीनामा पेश किया गया है जिसमे अपीलान्ट का सही नाम पप्पू अली पुत्र चंदा अली जाति मुसलमान निवासी हाडौली होना सही बताया गया है। ओर इसी आधार पर पत्रावली को तहसीलदार को रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन में अपील मीमो को दोहराते हुए एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो में अपीलान्ट का सही नाम पप्पू अली है नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा गलत दर्ज किया गया है ओर सरपंच द्वारा भी विना सुनवाई के ही नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट एवं पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड एवं आपसी राजीनाम का अवलोकन कारने पर पाया गया की विवादित आराजी से सम्बंधित नामान्तकरण संख्या 788 दिनांक 19.01.2013 व 851 दिनांक 05.06.2014 को विरासत का पटवारी हल्का द्वारा भरा गया है। नामान्तकरण पुश्त पर जो सजरा अंकित किया गया है उसी को आधार मान कर भू–अभिलेख निरीक्षक ने मिलान करते हुए इसी आधार पर ग्राम पंचायत के सरपंच ने विना जॉच किये ही नामान्तकरण को तस्दीक किया गया है उसमे अपीलान्ट का नाम पप्पू अली पुत्र चंदा अली के स्थान पर रफीक दर्ज कर दिया है। जिसे सुनवाई का अवसर ग्राम पंचायत द्वारा नही दिया जाकर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मान कर ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की मार्कशीट, उप जिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं राजकीय माध्यमिक विद्याालय शेरपुर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र ,पहचानपत्र, आधारकार्ड , वाहन चालक लाहीसन्स आदि में अपीलान्ट का नाम पप्पू अली पुत्र चंदा अली मुसलमान दर्ज है। साथ ही अपीलान्ट के भाई रेस्पोडेण्ट 2 ता 4 ने भी अपीलान्ट का नाम पप्पू अली बताया गया है। ओर हम सहमत है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 788 दिनांक 19.01.2013 व 851 दिनांक 05.06.2014 ग्राम हाडोली तहसील हिण्डौन में से रफीक पुत्र चंदा अली मुसलमान के हक तक नामान्तकरण में अंकन को अपास्त किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे ओर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार हिण्डौन को रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट का नाम पप्पू अली पुत्र चंदा अली मुसलमान की सही जॉच करते हुए गुणावगुण के आधार पर निस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner